

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(गौरव अग्रवाल, आई० ए० एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

38 / 2020
8-7-2020

हेमराज पुत्र उंकार जाति गुर्जर निवासी इस्लामनगर तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
-अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला- टोक

-रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 28-11-2019 मिसल सं०
267 / 2019



उपरिस्थिति : (1) श्री विजयबहादुरसिंह अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय


दिनांक 24-2-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 28-11-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 673 रकबा 1.22 है० वाके ग्राम पायगा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 244/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया हैं ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है ओर न ही स्वयं द्वारा मौका देखा गया है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। पटवारी द्वारा दुर्भावना पूर्वक अपीलान्ट के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की गई जिसके आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विचार




जिला कलेक्टर
टोंक

करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्त के अभिभाषक का यह भी कथन है कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्त को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाएँ क्रमशः बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलान्त ने कब्जा कर उखद की फसल काशत कर कब्जा किया है। अपीलान्त को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है, नोटिस पर उसके पुत्र की तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपसिति हुआ है तथा उसके अपना अतिक्रमण होना स्वीकार किया है। अपीलान्त ने इस भूमि पर पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया अपीलान्त सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्त की विधिवत रूप से तामील नहीं हुई है। नोटिस पर केवल मुकेश लिखा हुआ है जिससे यह साबित नहीं होता है कि वास्तव में यह अपीलान्त का पुत्र है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देना चाहिए था। नायब तहसीलदार सोप द्वारा अपीलान्त की बिना सुनवाई के निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28-11-2019 अपास्त किया जाकर नायब तहसीलदार सोप को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर समस्त रिकार्ड/कब्जे की जांच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 24-2-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गौरव अग्रवाल)
जिला न्यायाधीश, राजघाट
राजघाट